न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :— कौशल्या बिश्नोई, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. : 109/2025

रामनिवास बनाम अनिल वगै0

रामनिवास पुत्र कुरड़ाराम, उम्र व्यस्क, जाति जाट, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

वादी

बनाम

1. अनिल पुत्र मूलचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम राजीव नगर, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
2. सुनिल पुत्र मूलचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम राजीव नगर, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
3. बिमला देवी पत्नी मूलचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम राजीव नगर, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
4. इन्द्रा पुत्री कुरड़ाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
5. नेकीराम पुत्र कुरड़ाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
6. रामसिंह पुत्र कुरड़ाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
7. संतोष देवी पत्नी कुरड़ाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बाडलवास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
8. मुकेश पुत्र कुरड़ाराम, जाति जाट, निवासी ग्रामं बिजारणीया की ढ़ाणी, हुकमपुरा, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनू (राज.)
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हाल राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कलेक्ट्रेट सर्किल, झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हाल राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मुख्य शाखा, झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
11. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
12. राजस्थान सरकार भूमिधारी, जरिये तहसीलदार झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि भूमि हाल खसरा नं. 232 रकबा 1.87 हैक्टर, खसरा नं. 244 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.93 हैक्टर भूमि सरहद राजस्व ग्राम राजीव नगर, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है, तथा भूमि हाल खसरा नं. 243 रकबा 5.66 हैक्टर भूमि सरहद राजस्व ग्राम राजीव नगर, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है। वाद पत्र की मद सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है। वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि में वादी का 1/20वां हक हिस्सा तथा वाद पत्र की मद सं. 2 में वर्णित भूमि में वादी का 1/20 वां हिस्सा है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वाद पत्र की मद सं. 1 व 2 में वर्णित जमीन वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है। वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 8 उक्त भूमि में बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है। जमीन वर्णित धारा नं. 1 व 2 वाद पत्र वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 8 की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्सा के मुताबिक संयुक्त खातेदारी की जमीन है। वाद पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित जमीन का अभी पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जमीन के बिना विधिवत विभाजन के कोई एक सह खातेदार अपने हक हिस्सा की जमीन में अच्छी तरह से भु सुधार नहीं कर सकता तथा ना ही सम्परिवर्तन करवा सकता है। उपरोक्त उद्देश्य के लिये वादी ने दिनांक 04.06.2025 को प्रतिवादी नं 1 लगायत 8 को हिस्सा एवं कब्जा काश्त के मुताबिक जमीन के विधिवत विभाजन बाबत कहा तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 स्पष्ट इन्कार हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वे जमीन को बिना विधिवत विभाजन के विक्रय करेगें तथा वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करेगें। इस कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 08.07.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। वादी की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अजय स्वामी उपस्थित। बहस पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी

सुना गया। दौराने बहस अधिवक्तागण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने में सहमि
ाहिर की। बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोक
किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर न्यायसंग
प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा भूमि हाल खसरा नं. 232 रकबा 1.87 हैक्टर, खसरा नं. 244 रकब
0.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.93 हैक्टर तथा भूमि हाल खसरा नं. 243 रकबा 5.66 हैक्टर सरह
राजस्व ग्राम राजीव नगर, तहसील व जिला झुन्झुनूं कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाज
के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपन
वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्त
हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

19/8/25

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (झुन्झुनूं)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :– कौशल्या बिश्नोई, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. : 109 / 2025

रामनिवास बनाम अनिल वगै0

वादी की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अजय स्वामी उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 19.08.2025 को कौशल्या बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार वि जाता है तथा भूमि हाल खसरा नं. 232 रकबा 1.87 हैक्टर, खसरा नं. 244 रकबा 0.06 हैक्टर कुल कित कुल रकबा 1.93 हैक्टर तथा भूमि हाल खसरा नं. 243 रकबा 5.66 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम राजीव न तहसील व जिला झुन्झुनूं कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते विभाजन प्रस्ताव निर्णय / डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

19/8/25
(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर	1000	फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	1003	योग	1

19/8/25
(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)